U.P. SMALL INDUSTRIES CORPORATION LIMITED

Application/Registration Form for Enlistment of purchasers of Flatted Factory/Unit

Approved By

Managing Director
U.P. SMALL INDUSTRIES CORPORATION LIMITED

Registered Office : 110, Industrial Estate, Fazalganj, Kanpur -208012

Application Form for Registration of Flatted Factory Units at Udyog Nagar (Dada Nagar), Kanpur, Uttar Pradesh for Hosiery Business

उ0 प्र0 उद्योग निगम लि0 द्वारा उद्योग नगर, (दादा नगर), कानपुर में बनाई जा रही होजरी उद्योग लगाने हेतु फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट को क्रय करने हेतु आवेदन पत्र

Note- The applicant is required to read the terms and conditions carefully and to fill each columns and give specific information thereby help the Corporation in speedy consideration of his application. Applications with incomplete information will unnecessarily delay their processing.

नोटः– आवेदक से अनुरोध है कि कृपया वर्णित शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और प्रत्येक स्तम्भ को भरें एवं वांछित सूचना देकर आवेदन पर त्वरित विचार करने में निगम की सहायता करें। अपूर्ण सूचना वाले आवेदन पत्रों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होगा।

To,

The Managing Director,

U.P. Small Industries Corporation Ltd.

110, Industrial Estate, Fazalganj, KANPUR-208012

Dear Sir/Ma'am

I am applying for a Flatted Factory Units at 166B Udyog Nagar (Dada Nagar), Kanpur, Uttar Pradesh of the Corporation for setting up my Hosiery Business. I hereby agree/not agree for a different Flatted Factory Unit being allotted in the same building in place of my preferred choice. The details are given below :

मैं निगम के 166बी उद्योग नगर (दादा नगर), कानपुर स्थित फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट के आवंटन हेतु आवेदन करता हूं। यदि मुझे इस भूखंड में किसी अन्य फ़्लैट का आंवटन होगा तो वह मुझे स्वीकार होगा/स्वीकार नहीं होगा। विवरण नीचे दिया गया हैः–

Particulars of the Floor and Total Area for preferred Flatted Factory Unit

फ़्लैट का विवरण

SERIAL NO/क्रम संख्या	1.	2.	3.	4.
Floor / फ्लोर संख्या				
Area/एरिया				

1. Please select applicant in whose name the Flatted Factory Unit is required to be allotted. (Please tick)

   आवेदक चुनें जिसके नाम फ्लैटेड फैक्ट्री / यूनिट का आवंटन वांछित है।

A. If an individual ☐
B. If a Partnership Firm ☐
C. If the proprietor/partner/promoter belongs to scheduled caste/scheduled tribe ☐
D. If a Private Limited Company ☐
E. If a Public Limited Company ☐
F. If a Govt. Company or a Company in the Co-operative Sector ☐

2. Full name and address of the person signing

   the application (in case of individual)

   आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पूरा :

   नाम व पता

   (a) Name/ नाम : --
   (b) Father's Name/पिता का नाम
   (c) Age/आयु : --
   (d) Present Address/ वर्तमान पता : --
   (e) Status/Relationship/ प्रस्थिति / आवेदक से सम्बन्ध : --
   (f) Telephone No./Mobile No./ : --

दूरभाष नं./मोबाइल नं.

(g) E-Mail Address/ई. मेल पता : ---

3. Full name and address of the person signing the application (on behalf of Partnership Firm, Private Limited Company, Public Limited Company, Govt. Company or a Company in the Co-operative Sector Limited Company)

आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम व पता (यदि आवेदक एक पार्टनरशिप फर्म, प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी,, सरकारी कम्पनी अथवा को–आपरेटिव सेक्टर कम्पनी है)

Particulars	(1)	(2)	(3)	(4)
Name Of Proprietor/ Partner/Director/ Authorized Signatory				
Address/Registered Office				
Registered Contact				
Email id				
DIN/DPIN				

4. Type of Hosiery products proposed to be manufactured (enclose Project report describing briefly the salient features of the business) : ---------------------------------------

किस प्रकार के होजरी उत्पादों से सम्बन्धित उद्योग को स्थापित करना प्रस्तावित है ?

(प्रस्तावित उद्योग की प्रमुख प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करें):

(a) Estimated cost of the project : --------------------------------------

परियोजना की अनुमानित लागत

(b) Estimated employment generation : --------------------------------------

अनुमानित रोजगार सृजन

(c) No. of persons/employees working in Flatted Factory Units : ------------------------------------

प्रस्तावित फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट में कितने लोग कार्य करेंगे :

(d) Machinery and equipment with its tentative cost provided : -------------------------------------

मशीनें तथा उपकरण और उनकी अनुमानित लागत

5. Expected turnover of 12 months from manufacturing business of Hosiery Business after allotment of Flatted Factory/Unit : --------------------------------------

एक वर्ष का अनुमानित टर्नओवर फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट के आवंटन के बाद, होजरी उद्योग से

6. Power requirement (in KW) : -------------------------------------

विद्युत शक्ति की आवश्यकता (किलोवाट) :

7. Telephone requirement

टेलीफोन की आवश्यकता :

First year/ --------------------------------------

प्रथम वर्ष

Ultimate requirement -------------------------------------

कुल आवश्यकता

8. Is the applicant under priority category? please specify clearly. --------------------------------------

9. List of places other than the desired Flatted Factory Units, where the applicant's manufacturing business related to hosiery is already being operated if yes then please provide

क्या आवेदक का इच्छुक फ्लैटेड फैक्ट्री / यूनिट के अलावा किसी और स्थान पर होजरी सम्बन्धित उद्योग है (अगर हाँ तो विवरण प्रदान करें)

S. No / क्रम संख्या	Name of Business / व्यापार का नाम	Products / उत्पाद	Yearof Establishment / स्थापना का वर्ष
1			
2			

11.Amount and other details of the Bank Draft enclosed towards non-adjustable, non-refundable Application Free and Earnest Money and cost of form as given in the annexed Table.

संलग्न तालिका के अनुसार न समायोजित किए जाने वाले आवेदन शुल्क फार्म की कीमत सहित धरोहर राशि के संलग्न बैंक ड्राफ्ट की कुल धनराशि, उसकी संख्या, तिथि और अन्य विवरण।

Amount/धनराशि ---

Bank Draft No./बैंक ड्राफ्ट संख्या ---

Date/दिनांक ---

Name of Bank/बैंक का नाम ---

Payable at/कहाँ भुगतान मिलेगा ---

The information given in the above application is true to the best of my knowledge and belief and the general conditions for allotment of Flatted Factory/Unit and grant of lease indicated, in this application form for allotment of Flatted Factory /Unit in Industrial Area have been read carefully and understood by me and are fully acceptable to me. I further agree to abide by any and all changes made in the general conditions by the Corporation from time to time for reference please read the terms &

conditions of corporation mentioned in book of rules and regulations provided with this registration form.

ऊपर आवेदन में दी गई सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्णतयः सत्य है। मैंने इस आवेदन पत्र में वर्णित औद्योगिक क्षेत्रों में निर्मित फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट के आवंटन सम्बन्धी सामान्य शर्तों को सावधानी से पढ़ा और समझा है जो मुझे पूर्णतयः स्वीकार है। साथ ही इन सामान्य शर्तों में निगम द्वारा समय–समय पर किए गए अन्य सभी परिवर्तन मुझे स्वीकार हैं जिनका मैं पालन करूँगा संदर्भ के लिए नियम और विनयम सम्बन्धित किताब, इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न है जिसमें निगम द्वारा सामान्य शर्तें उल्लिखित हैं।

Date/दिनांक

Signature of the applicant
आवेदक के हस्ताक्षर

Acknowledgement Receipt

(For official purpose only)

Application Serial Number	-	-------------------------
Date of Receipt	-	-------------------------
Fees Paid	-	-------------------------

Uttar Pradesh Small Industries Corporation Limited

110, Industrial Estate,

Fazalganj, Kanpur Nagar- 208012

Dear Applicant,

We acknowledge the receipt of your application from for allotment of flatted factory. We shall review your application after the announced deadline. In the event of acceptance of your application, we will notify you accordingly.

For any other information or explanation you may contact the following:-

Name - ------------------------------

Contact - ------------------------------

Thankyou for your interest in the project.

Sincerely,

For Uttar Pradesh Small Industries Corporation Limited

(Auth. Signatory)

LIST OF DOCUMENTS TO BE ENCLOSED

Sl. No.	List of Documents	Tick as applicable
	Individual / Proprietorship Firm	
1.	Self-Certified Copy of PAN Card of Proprietor	
2.	Self-Certified Copy of Aadhar Card of Proprietor/Partners/Directors	
3.	Self-Certified Copy of G.S.T Registration	
4.	Self-Certified Copy of MSME Certificate	
	Partnership Firm / Limited Liability Partnership	
1.	Copy of PAN Card of Partnership Firm/LLP certified by at least 2 Partners	
2.	Self-certified copy of PAN Card of Partnership Firm/LLP Partners	
3.	Copy of G.S.T Registration certified by at least 2 Partners	
4.	Copy of MSME Certificate certified by at least 2 Partners	
	Private Ltd. Co. / Public Ltd. Co. / Govt. Co.	
1.	Copy of PAN Card of Company certified by at least 2 Directors	
2.	Self-certified copy of PAN Card of Directors	
3.	Certificate of Incorporation certified by at least 2 Directors	
4.	Copy of G.S.T Registration certified by at least 2 Directors	
5.	Copy of MSME Certificate certified by at least 2 Directors	

उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 कानपुर द्वारा उद्योग नगर, कानपुर में बनाई जा रही होजरी उद्योग लगाने हेतु फ्लैटेड फैक्ट्री एवं यूनिट क्रय करने हेतु विवरण पुस्तिका।

1. योजना का विवरण:

1.1 उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम लि0, कानपुर, (निगम) स्वामित्व वाले प्लाट संख्या 166-बी में फ्लैटेड फैक्ट्री एवं यूनिट का आवंटन।

2. पंजीकरण हेतु पात्रता:

2.1 आवेदक कोई या कोई भी विधिक व्यक्ति (जैसे एल०एल०पी०, पार्ट्नर्शिप, प्राइवट लिमिटेड कम्पनी इत्यादि हो सकता है।

2.2 आवदेक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

2.3 आवेदक भारत का निवासी तथा साधारण निवासी या आवेदक को संविदा करने हेतु भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार सक्षम होना चाहिए।

2.4 फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट सिर्फ़ प्रदूषण रहित होजरी उद्योग लगाने हेतु ही आवंटित की जायेगी।

2.5 आवेदक निगम के किसी नियमित/अनियमित कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके सम्बन्धियो से सम्बन्धित नहीं होना चाहिए तथा आवेदक का निगम के साथ कोई भी प्रत्यक्ष या आप्रत्यक्ष सम्बंध भी नहीं होना चाहिए।

2.6 आवदेक किसी भी दशा में निगम में सेवारत नहीं होना चाहिए।

2.7 आवेदक का उद्योग आधार पंजीकरण भी होना चाहिए जो कि आवेदन की तिथि में प्रभावी हो।

नोट: यदि आवेदक 2.1 से 2.7 तक के नियमों का उल्लंघन करता है व तथ्यों को छिपाकर छलपूर्वक आवंटन प्राप्त करता है तो ऐसे आवंटन को स्वतः निरस्त माना जाएगा और आवंटी द्वारा जमा समस्त धनराशि जप्त कर ली जाएगी एवं इसके लिए आवश्यक क़ानूनी कार्यवाही या अन्य कार्यवाही जो निगम उचित समझे में जा सकती है।

3. आवेदन के चरण:

3.1 सर्व प्रथम आवेदक को इस विवरण पुस्तिका के साथ संलग्न आवेदन पत्र को भरना होगा व उससे सम्बन्धित शुल्क अदा करना होगा।

3.2 आवेदन पत्र को भरने व उसका शुल्क जमा करने के पश्चात, आवेदक को आवंटन होने के उपरान्त संलग्न तालिका के अनुसार समय-समय पर भुगतान करना होगा यह तालिका (CONSTRUCTION LINKED PLAN) इस विवरण पुस्तिका के साथ संलग्न है।

3.3 आवेदक को आवंटित फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट और उससे सम्बन्धित भुगतान संलग्न तालिका में दिये वर्णित अग्रिम किश्तों को भुगतान करके सम्बंधित अनुबंध को अपने पक्ष में निगम द्वारा अनुबन्धपत्र निष्पादित कराना होगा।

3.4 आवेदक को अपनी आवंटित फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट का कब्जा लेने से पहले समस्त भुगतान संलग्न तालिका में दिये विवरणों के अनुसार किश्तों को जमा कर निगम के माध्यम से अपने पक्ष में पट्टाविलेख निष्पादित कराना होगा जो कि निगम के माध्यम से कानपुर इंडस्ट्रीयल डिवेलप्मेंट को ओप इस्टेट, कानपुर द्वारा कराया जायेगा।

4. लीज:

4.1 आवदेक के पक्ष में पट्टा/लीज (60+30) वर्ष की अवधि के लिये दिये जाएगें जिसका पट्टाविलेख निगम के माध्यम से कानपुर इंडस्ट्रीयल डिवेलप्मेंट को ओप इस्टेट, कानपुर द्वारा कराया जायेगा। उक्त हेतु कानपुर इंडस्ट्रीयल डिवेलप्मेंट को ओप इस्टेट के लीज हस्तान्तरण के नियम आवेदक को मान्य होंगें। (कानपुर इंडस्ट्रीयल डिवेलप्मेंट को ओप इस्टेट, कानपुर के नियम पत्रिका के साथ संलग्न)

4.2 लीज शुल्कः प्रति वर्ग फिट निर्धारित है (विवरण के लिये भुगतान पुस्तिका के साथ संलग्न तालिका का संदर्भ ग्रहण करें)

5. आरक्षण/आवंटन में प्राथमिकता की श्रेणी शासनादेश संख्या के नियमानुसार होगी।

5.1 एक मुश्त भुगतान आवंटन तिथि से एक माह में करने के इच्छुक आवेदकों को निगम द्वारा छूट प्रदान की जायेगी।

5.2 सहायक इकाइयॉ/रिपेयर शॉप

5.3 फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट के फ्लैट का आवंटन जैसा है जहॉ है के आधार पर होगा।

5.4 फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट पर एक से अधिक आवदेक होने पर लॉटरी पद्वति से आवटंन किया जायेगा जो की सभी आवेदकों को मान्य होगा।

5.5 शासनादेश के अनुसार एवं आवटंन में प्राथमिकता की श्रेणी के आधार पर आवंटन में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

6. पंजीकरण शुल्क: रू 5000.00 और जी0एस0टी0 18 प्रतिशत अतिरिक्त।

6.1 निगम से सेवाएं प्राप्त करने से पूर्व प्रत्येक आवंटी को निगम से आवेदन पत्र लेकर उसको सुचारु रुपसे भरकर मात्र रू 5000.00 और जी0एस0टी0 18 प्रतिशत अतिरिक्त जमा कर अपना पंजीकरण कराना होगा तथा नियमानुसार रू 1.00 लाख की धनराशि अग्रिम जमा करानी होगी।

6.2 आवेदकों को पंजीकरण धनराशि वापसी योग्य नहीं होगी।

6.3 सफल आवेदकों को उक्त शुल्क वापस नहीं किया जाएगा स्पष्ट: की यह निगम में पंजीकरण का शुल्क है, जो अन्य किसी मद में समायोजित नहीं किया जाएगा। पंजीकरण शुल्क में आवश्यक जी॰एस॰टी॰ अतिरिक्त लिया जाएगा।

6.4 असफल आवेदकों की अग्रिम धनराशि उनसे प्रति रसीद लेकर बिना किसी ब्याज के साथ वापस की जाएगी तथा पंजीकरण धनराशि वापस नहीं की जाएगी।

6.5 आवंटन हेतु जमा की गई धरोहर धनराशि की वापसीः (कृपया विवरण के लिये भुगतान विवरण पुस्तिका के साथ संलग्न तालिका का संदर्भ ग्रहण करें)

7. फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट का कब्जाः

7.1 उन्हीं आवेदक को फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट का कब्जा दिया जायेगा जिनको उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 कानपुर व कानपुर इंडस्ट्रीयल डिवेलप्मेंट को ओप इस्टेट, कानपुर की सारी नियम व शर्तें मान्य होंगी।

7.2 फ्लैट/शॉप का पट्टाविलेख निगम के माध्यम से कानपुर इंडस्ट्रीयल डिवेलप्मेंट को ओप इस्टेट, कानपुर द्वारा कराया जायेगा तथा इस हेतु आवटंन के सम्बन्ध में कानपुर इंडस्ट्रीयल डिवेलप्मेंट को ओप इस्टेट, कानपुर के समस्त बाई लाज आवंटी को मान्य करना होगा।

7.3 कब्जे से पूर्व सम्पूर्ण धनराशि मय लीज रेन्ट एवं अन्य देयकों को जमा करा कर पट्टाविलेख कराना आवश्यक होगा।

7.4 पट्टाविलेख/अनुबन्ध इत्यादि के समस्त व्यय आवंटी को वहन करने होंगे।

7.5 आवेदनकर्ता को फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट के निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत आवटंन के 6 माह के अन्दर अपने आवंटित जगह का कब्जा प्राप्त करना होगा अन्यथा निगम को यह अधिकार होगा कि वह आवंटित जगह का आवंटन निरस्त कर मय 15 प्रतिशत की कटौती कर बकाया धनराशि आवदेकलौटा देगा और जिसके सम्बन्ध में आवेदक कोई आपत्ति न होगी।

8 आवंटित फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट का आवेदक द्वारा हस्तान्तरण

8.1 यदि आवेदक अपनी आवंटित फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट के आवंटन के बाद, उसका हस्तान्तरण किसी अन्य व्यक्ति के हक में निष्पादित करता है तो उस दशा में आवेदक को निगम से पूर्व में अनापत्ति पत्र प्राप्त करना होगा।

8.2 यदि आवेदक के हक में आवंटित फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट का पट्टाविलेख वर्ष के लिये किया जा रहा है और अगर आवेदक इससे पूर्व उसका हस्तान्तरण किसी अन्य व्यक्ति के हक में निष्पादितकरता है तो उस दशा में 90 वर्ष में बचे हुये समय के लिये ही उस व्यक्ति (जिसके हक में आवेदक हस्तान्तरण कर रहा है) का आवंटन मान्य होगा।

8.3 यदि कोई आवेदक हस्तान्तरण से पूर्व अपनी आवंटित यूनिट निरस्त कराना चाहता है तो हस्तान्तरण के दिन तक जो भी धनराशि आवेदक ने जमा कर रखी होगी उसमें से 15 प्रतिशत की कटौती कर, निगम बकाया धनराशि आवेदक को सुचारू रूप से वापस कर देगा।

8.4 यदि जिस व्यक्ति के पक्ष में आवेदक ने आवंटित फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट का हस्तान्तरण किया है उस व्यक्ति पर भी निगम व कानपुर इंडस्ट्रीयल डिवेलप्मेंट को ओप इस्टेट, कानपुर की समस्त शर्तें प्रभावी होंगी।

8.5 किसी अन्य के पक्ष में लीज हस्तान्तरण से पूर्व आवंटी को निगम से अनापत्ति पत्र एवं उस समय के जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट्स एवं मूल आवंटन के समय देय प्रीमियम के अन्तर पर 15 प्रतिशत लाभांश जी0एस0टी0 अतिरिक्त निगम में जमा कराना आवश्यक होगा।

9. ऋण सुविधा एवं फ्लैट को बंधक रखने का प्राविधान:

9.1 आवंटी अपनी इच्छानुसार किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त कर सकता है। ऋण प्राप्त करने हेतु निगम किसी प्रकार की गारंटी नही प्रदान करेगा।

9.2 आवंटी को फ्लैट को बंधक रखने का अधिकार होगा किन्तु इसके लिए उ0प्र0 लघु उद्योग निगम से अनापत्ति पत्र प्राप्त करना होगा।

9.3 आवंटी यदि वित्तीय सस्था के ऋण की चुकता अदायगी नहीं कर पाता है और उस दशा में यदि वह वित्तीय संस्था आवंटित जगह का कब्जा प्राप्त कर लेती है या उसका हस्तान्तरण किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में कर देती है तो वित्तीय संस्था व उस व्यक्ति को निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और उनपर भी निगम व कानपुर इंडस्ट्रीयल डिवेलप्मेंट को ओप इस्टेट, कानपुर के सभी नियम प्रभावी होंगे।

9.4 आवंटी के द्वारा किसी में वित्तीय संस्था द्वारा प्रदान ऋण चुकता ना हो पाने की दशा में निगम की किसी भी प्रकार की कोई में ज़िम्मेदारी नहीं होगी। ऋण आदायगी की समस्त ज़िम्मेदारी आवंटी या उसके गारंटर की होगी।

10. कर आदि की देयताः

10.1 आवंटी को फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट के सम्बन्ध मे शासकीय करों की नियमानुसार समय-समय पर अदायगी करनी होगी।

11. वाद विवाद की स्थिति:

11.1 आवटंन एवं अन्य सम्बन्धित मामले पर निर्णय का समस्त अधिकार निगम के प्रबन्ध निदेशक को प्राप्त होंगे। विवाद की स्थिति में विधिक क्षेत्र कानपुर नगर होगा।

11.2 यदि आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर आवंटित फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट का कब्जा नहीं प्राप्त किया जाता तो आवंटन निरस्त हो जायेगा और जमा कुल धनराशि निगम जब्त कर लेगा, जब तक कि निगम के प्रबन्ध निदेशक, (आवंटी के नियंत्रण के बाहर की असाधारण परिस्थितियों के आधार पर) निर्धारित अवधि में समयावृद्धि न प्रदान कर दें बशर्ते समयावृद्धि का अनुरोध आवंटी द्वारा निर्धारित समयावधि समाप्त होने से पूर्व निगम को प्राप्त गया हो।

12 अन्य नियम:

12.1 आवंटी को अपनी इकाई के उत्प्रवाहों का विर्सजन निगम द्वारा निर्धारित/चयनित स्थल पर ही करना होगा, तथा यदि आवंटी द्वारा फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर में गंदगी फैलाई जाती है तो उसके विरूद्व निगम द्वारा कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

12.2 यदि आवंटी द्वारा नान-पल्यूटेड एवं होजरी उद्योग के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य किया जाता है तो उनका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

12.3 निगम का यह प्रयास होगा कि जिस तल पर फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट हेतु आवेदन किया जा रहा है उसे उसी तल पर आवंटित किया जाये किन्तु फ्लैट सीमित होने के कारण आवंटन से पूर्व आवेदक को अन्य तल पर फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट हेतु ऑफर दिया जा सकता है तो उस स्थिति में आवेदक को इस शर्त का पालन करना होगा।

12.4 अन्य दरों के अतिरिक्त आवेदक को निगम द्वारा मांगे गये रख-रखाव शुल्क का भी भुगतान निम्न अनुसार समय से करना होगा, जिसमें प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी (भुगतान संलग्न तालिका/CONSTRUCTION LINKED PLAN देखें)

- प्रथम 4 वर्षों हेतु रू........... प्रति वर्ग मी0 प्रति वर्ष (जी0एस0टी0 अतिरिक्त)
- 5 वें वर्ष से 8 वें वर्ष हेतु रू........... प्रति वर्ग मी0 प्रति वर्ष (जी0एस0टी0 अतिरिक्त)
- अगले 4 वर्षों हेतु रू........... प्रति वर्ग मी0 प्रति वर्ष (जी0एस0टी0 अतिरिक्त)
- रख रखाव शुल्क समय से न जमा करने पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

नोट : रख रखाव शुल्क निर्माण कार्य ख़त्म होने के उपरांत निगम द्वारा अवगत कराया जाएगा।

12.5 आवेदक ने अपनी स्वेच्छा व जाँच-पड़ताल करने के बाद व भारत में लागू सभी कानूनों को संज्ञान में रखकर ही निगम होजरी उद्योग लगाने हेतु फ्लैटेड फैक्ट्री एवं यूनिट के आवंटन के लिए आवेदन किया है और परियोजना के पूर्ण होने पर नोटिस द्वारा आवेदक को सुचारू रूप से फ्लैटेड फैक्टी/यूनिट का आवंटन किया जाएगा और इस नियमावली व कानपुर इंडस्ट्रीयल डिवेलप्मेंट को ओप इस्टेट, कानपुर के नियम को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के पक्ष में उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 कानपुर द्वारा एक किरायेदारी अनुबन्धपत्र निष्पादित कराया जायेगा।

12.6 आवेदक ने आवेदन से पूर्व सारे दस्तावेजों व मौका मुआयना करके ही व कानपुर इंडस्ट्रीयल डिवेलप्मेंट को ओप इस्टेट, कानपुर की समस्त शर्तों (जो फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट पर लागू होती हैं) उनकी जानकारी लेकर ही आवेदन किया है और जिसके सम्बन्ध में भविष्य में आवेदक के द्वारा कोई क्लेम व दावा स्वतः निरस्त माना जायेगा।

12.7 आवेदक को आवंटित फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट को निरीक्षण करने की अनुमति होगी व उसको आवंटित जगह के डिजाइनों, मानचित्र से भी भली भाँति अवगत कराया जायेगा परंतु इन डिजाइनों, मानचित्र में अगर कोई परिवर्तन शासनादेश व कानपुर इंडस्ट्रीयल डिवेलप्मेंट को ओप इस्टेट, कानपुर या किसी अन्य महकमे द्वारा किया जाता है या फिर वह परिवर्तन समस्त आवेदनकर्ताओं के लिए आवश्यक है तो उसस्थिति में आवेदक को इस शर्त का पालन करना होगा।

12.8 आवेदक को फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट के निर्माण के समय पर उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 कानपुर को देय आवंटन प्रीमियम, किस्त व प्रभार्य जीएसटी की चुकता अदायगी करनी होगी व आवेदक को अन्य कर जैसे कि श्रम उपकर, रख-रखाव शुल्क व किसी अन्य सरकारी संस्था

द्वारा लगाये जाने वाले कर, भी आवेदक को स्वीकार होंगे और जिनकी चुकता अदायगी आवेदक सीधे निगम को भी कर सकता है।

12.9 यदि आवंटी की मृत्यु हो जाती है, तो उसको आवंटित फ्लैटेड फैक्ट्री/शॉप की लीज उसके उत्तराधिकारी को निर्धारित अभिलेख उपलब्ध कराने पर हस्तान्तरित की जा सकती है।

12.10 आवंटी को अधिकार होगा कि वह अपनी आवंटित फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट के निर्माण के समय उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री को भली-भाँति जाँच परख ले व जगह का सुचारू रूपसे निरीक्षण कर लेवे क्योंकि निर्माण के बाद आवेदक का कोई भी क्लेम व दावा पूर्णतः निरस्त माना जायेगा।

12.11 आवंटी को भुगतान सलंग्न तालिका (CONSTRUCTION LINKED PLAN) के अनुसार ही अपनी आवंटित फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट का भुगतान करना होगा पर किसी कारण वश अगर निर्माण इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे कि सीमेन्ट, सरिया, मौरंग, गिट्टी आदि में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हो जाती है तो उस दशा में उस बढ़ी हुई लागत का व्यय आवेदक वहन करेगा।

12.12 यह कि निर्माण कार्य के दौरान यदि कोई आगजनी, भूकम्प, बाढ़, कोरोना, लॉकडाउन या कोई अन्य दैवीय आपदा/वैश्विक महामारी या सरकारी आदेश व न्यायालय द्वारा प्रतिबन्ध लागू होता है जो निगम की शक्तियों में निहित नहीं है तो ऐसी दशा में निर्माण कार्य का समय बढ़ाया जा सकेगा और जिसके लिये आवेदक/आवंटी को कोई आपत्ति न होगी।

12.13 यह कि यदि आवंटित फ्लैटेड फैक्ट्री/यूनिट को सिर्फ होजरी उद्योग लगाने के लिये ही उपयोग किया जायेगा व उसमें किसी अन्य प्रकार की आवासीय व गैर कानूनी गतिविधियां अमान्य होंगी।

नोट: निगम की यह योजना उत्तर प्रदेश में प्रदूषण रहित होजरी गारमेन्ट्स उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रयास है जिसकी सफलता उद्यमियों पर निभर्र है। ऊपर वर्णित नियम व शर्तें जानकारी एवं पालन करने के लिए हैं, जो सम्पूर्ण नहीं हैं, जिनमे सूचना दिये बिना किसी भी समय परिवर्तन किये जा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है।

FFC Dada Nagar Kanpur- Construction Link Plan

Sr.No.	Stages	Payment
1	Amount with Application	Rs 1,00,000/-
2	At the time of Allotment	10% of the total cost
3	At the time of Agreement	15% of the total cost
4	At the time of Completion of Foundation	10% of the total cost
5	Work Upto Plinth Level	10% of the total cost
6	Casting of 1st floor Slab	10% of the total cost
7	Casting of 2nd floor Slab	10% of the total cost
8	Casting of 3rd floor Slab	10% of the total cost
9	Casting of 4rd floor Slab	10% of the total cost
10	Finishing works	10% of the total cost
11	Handover or Possession	Remaining Amount

Above Payment structure is without GST

GST will be payable as per Govt. norms .